FORM No III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर मुकाम अजमेर

लक्ष्मी देवी बनाम रामदेव व अन्य

किस्म मुकदमा 188 आरटीए मु0न0 190/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10.08.2022	वादी ने जरिये अभिभाषक वाद अन्तर्गत **188** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम **1955** के तहत प्रस्तुत किया। वाद पत्र पर वादी के अभिभाषक को सुना गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 15.09.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर 15/9/2022 आज PO सा. के प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/राजकार्य से दौरे /अवकाश/स्थानान्तरण कारण पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही हेतु उनके समक्ष दिनांक 19/12/2022 को पेश हो। रीडर न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर	
19/12/22	वादिया व उनके अभिभावक द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते वाद विड्रो करने बाबत् पेश किया, जिस पर पत्रावली पेश हुई। वादिया अभिभावक द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उपरोक्त वाद में पक्षकारान् के मध्य लोक अदालत की भावना से समझौता हो चुका है इस कारण वाद-पत्र चलाने की आवश्यकता नहीं रही, वाद-पत्र विड्रॉ करना चाहते हैं। वादिया अपने हक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अपने कथनों के समर्थन में वादिया ने आदेशिकापत्र पर अंगूठा निशानी अंकित की। जिसकी वादिया के अभिभावक ने पहचान की। चूंकि वादिया अपने प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहती है, अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है वाद को इसी स्तर पर विड्रॉ करने के आदेश दिये जाते हैं पत्रावली फैसलशुदा होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर	प्रार्थिया लक्ष्मी देवी 19/12/22